FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

प्रभाती देवी बनाम भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर

किस्म मुकदमा:– इजराय मुकदमा नम्बर– 6/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.01.2024	वकील डिकीदार श्री फूलचन्द सामोता एड0 ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावें। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.01.2024 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर व तहसीलदार खण्डेला को तहरीर आदेश जारी की जावें। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 19.02.2024 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	
29.04.2024	पत्रावली तारीख पेशी से [illegible] आज पेश हुई। वकील डिकीदार उपस्थित। प्रकरण में [illegible] व डिक्री की पालना तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये नामान्तरण संख्या 1840 दिनांक 03.02.2024 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः इजराय पत्रावली को इसी स्तर पर खारीज की जाकर फैसल की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	ऑनलाइन मिलान किया गया। आदेश की पालना ना. सं. 1840 दि. [illegible] [illegible]। 9/4

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.04.30 12:27:01 IST
Reason: SelfAttested